राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

फेदू / अर्जुनराम

तारीख हुक्म 418/2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षित में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमे के वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 23/09/2020 द्वारा उभयपक्षकारान को जवाब पेश होने तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विवादग्रस्त भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।	
	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया की अपिलांट विवादग्रस्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार है जिनको सुनवाई का अवसर दिये बगैर एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रथमद्रष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति पर विवेचित किये बगैर विधिविरुद्ध तरीके से प्रतिबंधित फरमा दिया गया। जो न्यायसंगत नही होने से आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।	
	अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब पेश होने तक मात्र के लिये अन्तरिम आदेश जारी किया था जिसमे अपीलार्थी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद था किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर शीधे आदेश जैर अपील को इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जो सही नही है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने 2014(1) RRT 409, RBJ 2004 पेज 467, 2019(1)RRT 277, RRD 1984 पेज 800, CCC 1992-232 उद्वरित की।	
	हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/09/2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	418/2020 फेदू / अर्जुनलाल	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलाट्स के जवाब प्रस्तुत होने तक विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है , जिसमे अपीलार्थी के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है किन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर आदेश जैर अपील को इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जो विधिअनुरूप प्रतीत नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है एवं चूँकि अब दोनो पक्ष इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है अत: आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे | उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04/01/2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 21/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर